प्रेस नोट

जनपद कानपुर देहात
दिनांक- 05.12.2024

❖ **पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना/शाखा प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी कर अपराध नियंत्रण/कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

आज दिनांक 05.12.2024 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, समस्त क्षेत्राधिकारी गण तथा समस्त थाना प्रभारी गोष्ठी में शामिल हुए तथा गोष्ठी में भा0द0वि0/बीएनएस0 के अपराध, महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधी अपराध व निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये -

1. थाने पर प्राप्त प्रत्येक छोटी से छोटी घटना का संज्ञान लिया जाये तथा उसका उसी स्तर पर तत्काल एवं यथोचित निराकरण किया जाये।
2. महिला सम्बन्धी अपराधों का तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत जनपद में महिला बीट बनायी गयी है, प्रत्येक बीट पर महिला बीपीओ की नियुक्ति की गयी है जिनकी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये।
4. अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा की गई।
5. थानों पर लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण, वांछित अभियुक्तों, पुरस्कार घोषित अपराधियों, वारण्टियों की गिरफ्तारी, शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये।
6. पूर्व की लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा की गई।
7. बरामदगी हेतु शेष अपहृत/अपहृता की समीक्षा की गई।
8. गुमशुदाओं की सूची जिनकी बरामदगी अभी भी शेष है, की समीक्षा की गई।
9. आई0जी0आर0एस /जनसुनवाई प्रार्थना पत्रों के निस्तारण स्थिति तथा फीडबैक (संतोषजनक/असंतोषजनक) के संबंध में समीक्षा की गई।
10. धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा की गई।
11. आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों के पैरवी की स्थिति की समीक्षा की गई।
12. ऑपरेशन दृष्टि/ऑपरेशन त्रिनेत्र के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्रों में संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

13.पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा।
14.आई रेड ऐप्प पर सड़क दुर्घटनाओं की फिडिंग की समीक्षा।
15.लम्बित चरित्र सत्यापन/पासपोर्ट संबंधी प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई एवं उपरोक्त सभी प्रकरणों में ध्यान केन्द्रित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
16.जनपदीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय कर समस्त प्रकार के प्रतिबन्धित संगठनों/अवैध शस्त्रों/कारतूसों/शराब/विस्फोटक पदार्थों/मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया।
17.सोशल मीडिया पर जातिगत/सांप्रदायिक/भ्रामक/अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर त्वरित विधिक कार्यवाही करने एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
18.जनपद में भीड़-भाड़ वाले इलाके/घनी वस्ती/बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/संदिग्ध व्यक्तियों/संदिग्ध वाहनों की आकस्मिक चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।
19.न्यायालयों से सम्बन्धित नोटिस, वारंट, एनबीडब्लू , बीडब्लू आदि नियत तिथि से पूर्व ही तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया।
20.आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सड़कों, बाजारों में अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण न होने दिया जाये तथा यातायात व्यवस्था सुचारु रुप प्रदान किया जाये।
21.जनपद में जुआं, सट्टा व अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
22.पूर्व में जेल गये अपराधियों व जेल से रिहा अपराधियों की निगरानी की जाये।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गोष्ठी में चर्चा करते हुए “जागते रहो” के संबंध में चर्चा करते हुए अभियान को सफल बनाने हेतु रात्रि में भ्रमणशील रहने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु हिदायत दी गयी। महोदय द्वारा गोष्ठी में मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने हेतु महिलाओं/ बालिकाओं को जागरूक करने, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने, लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों तथा अपहृताओं की शीघ्र बरामदगी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों/ जनप्रतिनिधियों/पत्रकार बंधुओं के साथ विनम्र व शालीन व्यवहार करें, जिससे कि आम जनता बिना किसी भय के अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानों पर आ सके। फरियादियों की शालीनतापूर्वक समस्याओं को सुनकर तत्काल निष्पक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।